

चैक लिस्ट

243

परियोजना का नाम :- बाड़ीकोट-खुरुड़ी (कोटियाग) मोटर मार्ग 6.50 किमी.।

प्रमाणित किया जाता है कि सभी प्रमाण पत्र चैक लिस्ट के अनुसार लगाये गये है।

अधिसासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, लो0नि0वि0
द्वाराहाट

फैक्ट लिस्ट

1 परियोजना का नाम पी०एम०जी०एस०वाई० के अर्न्तगत बाडीकोट-खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग का नव निर्माण किमी० 6.500

2 प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क	आरक्षित वन भूमि --	0
ख	सिविल एंव सोयम वन भूमि --	0.991
ग	वन पंचायत भूमि--	0.00
घ	योग	0.991
ड	निजी भूमि ---	3.559

3 प्रस्तावक विभाग का नाम --पी.एम.जी.एस.वाई.खण्ड, लो०नि०वि०,द्वाराहाट

4 वन प्रभाग का नाम --- अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

5 प्रस्ताव बांझड़िंग किया गया है--

हाँ / नहीं

6 प्रस्ताव में बिषय सूची भरी गई है--

हाँ / नहीं

7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है--

हाँ / नहीं

8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है--

हाँ / नहीं

9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है--

हाँ / नहीं

10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/ प्रमाण पत्र संलग्न है--

हाँ / नहीं

11 बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है-- ~~नहीं है~~ **बॉज वृक्ष प्रभावित नहीं है।**

हाँ / नहीं

12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया--

हाँ / नहीं

13 समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है--

हाँ / नहीं

14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है।

हाँ / नहीं

15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। ~~नहीं है~~ **नहीं है।**

हाँ / नहीं

16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ स्थल को दर्शाया गया है।

हाँ / नहीं

17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/ परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपड़ योजना संलग्न है--

हाँ / नहीं

18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है--

हाँ / नहीं

19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी करीडोर का हिस्सा है। यदि हाँ तो मुख्य वन्य प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है --

हाँ / नहीं

- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है।
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग अलग रंगों से भरा गया है --
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है --
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय --
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं --
- 27 वैकल्पिक समरेखनों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) संलग्न है।
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है (5 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगी)
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है --
- 30 मलुवे का निस्तारण मय मानचित्र सहित अथवा मलुवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है --
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं --
- 33 यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है --
- 34 वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है --
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है --
- 36 क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं --

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

हस्ताक्षर

101-11

अधिषासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई.खण्ड, लो०नि०वि०
द्वाराहाट

हस्ताक्षर

101-11

प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अरमोड़ा वन प्रयोग, अरमोड़ा

प्रारूप-2

(7)

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	पी0एम0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत बाडीकोट-खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग का नव निर्माण किमी0 6.500			
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।			
ग) परियोजना की लागत।	325.00 लाख (अनुमानित)			
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है।			
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा			
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	राज्य वन भूमि हे.	वन पंचायत भूमि हे.	आरक्षित वन भूमि हे.	कुल भूमि हे. में
	0.991	0.000	0.000	0.991
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	कोई नहीं।			
क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं।			
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।			
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं।			

(8)

-2-

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक : 12.08.2014

स्थान :- द्वाराहाट।


 सहायक अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 लोक निर्माण विभाग,
 द्वाराहाट (अल्मोडा)

नाम :- राजकुमार

 अधिशासी अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
 लोक निर्माण विभाग,
 द्वाराहाट (अल्मोडा)

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)